राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	निर्भय सिंह बनाम जगदीश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	पत्रावली अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 16/03/2026 को पेश हो	 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
16/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 12/1 लगायत 12/9 ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया	अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 17/03/2026 को पेश हो	 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
17/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी एवं रेस्पो. संख्या 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम भट्टो की गली पटवार हल्का रामपुरा डाबड़ी, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित आराजी खाता संख्या 146 के खसरा नम्बर 689 रकबा 0.12 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 690 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 691 रकबा 1.14 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.29 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 129 के खसरा नम्बर 502 रकबा 0.17 हैक्टेयर स्थित है, के वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 खातेदार काश्तकार है तथा लगान सरकारी सयुक्त रूप से जमा कराते आ रहे है	वादा पत्र में आगे सजरा खानदान अंकित करते हुये कथन किया गया कि विवादित आराजीयात को प्रतिवादीगण विक्रय करना चाहते है तथा दिनांक 16/10/2005 को प्रतिवादीगण द्वारा दीगर व्यक्तियो को लेकर विवादित आराजीयात पर गये और भूमि का विक्रय करने के लिये वार्तालाप करने लगे, जिस पर वादीगण ने यह कहा कि विवादित आराजीयात का अभी तक विधिवत तकासमा नही किया गया है तथा विवादित आराजीयात अविभाजित आराजी है, जिसका बिना विधिवत तकासमा कराये विक्रय नही कर सकते है	जिस पर प्रतिवादीगण वादीगण से झगड़ा-फिसाद करने लगे व वादीगण को ऐलानिया धमकी दी	जिस पर वादीगण ने वाद पत्र पेश कर वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण घोषणा इस अमर की डिक्री की जावे कि मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात में भंवरलाल पुत्र चतरलाल के स्थान पर वादीगण का नाम बतौर उत्तराधिकारी दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का अनुतोष चाहा गया		

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

निर्भय सिंह बनाम जगदीश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
321/2016		

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/वादी संख्या 2 की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी व आदेश 22 नियम 04 व 09 सीपीसी का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस समायत कर निर्णय दिनांक 04/05/2016 पारित करते हुये वादी का वाद अबेट हो जाने के आधार पर ख़ारिज फरमा दिया गया | जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी एवं अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 12/1 लगा, 12/09 ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये वादी के घोषणा के वाद को अबैट किया गया है, जबकी अधीनस्थ न्यायालय के लिये कानूनन यह आवश्यक था कि वे नरम रुख अपनाते हुये अथवा विस्तृत रूप से सम्बंधित तथ्यों को विवेचित करते हुये निर्णय पारित करते किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर तकनीकी बिन्दु के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी किया जाना जाहिर होता है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04/05/2016 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृत्तक पक्षकार के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर वाद के निस्तारण हेतु निर्धारित विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये वाद का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 17/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर